संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण
छत्तीसगढ़

प्रथम तल, ब्लॉक–4, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छ0ग0, 492002, दूरभाष 0771–2510115 ई–मेल dettrgcg@rediffmail.com

क्रमांक एफ 04–462 / योजना / संरोप्र / 2017 / 2856 / नया रायपुर दिनांक 19 जून 2017

प्रति,

संयुक्त संचालक(प्रशिक्षण)
क्षेत्रीय कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें,
रायपुर / बिलासपुर / बस्तर / सरगुजा / दुर्ग, छ.ग.।

विषय :– सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन् 2000 एवं आधार अधिनियम 2016 के अनुपालन के संबंध में।

–00–

विषयानतर्गत कार्यालय मुख्य सचिव, छ.ग. शासन से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1025 / CS / 2015 दिनांक 05 / 05 / 2017 की छायाप्रति संलग्न है। नागरिकों के पहचान संबंधी गोपनीय जानकारियां प्रकाशित करते समय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन् 2000 एवं आधार अधिनियम 2016 का कड़ाई से अनुपालन हेतु क्षेत्र के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

<u>आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

(मीना गनवीर)
संयुक्त संचालक

पृ0क्रमांक एफ 04–462 / योजना / संरोप्र / 2017 / 2857 / नया रायपुर दिनांक 19 जून 2017

प्रतिलिपि :–

1 / उप सचिव, छ.ग. शासन, कौ.वि., तक.शि. एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, छ.ग. को सूचनार्थ।

2 / स्थापना / प्रशिक्षण अनुभाग, संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3 / सहायक प्रोग्रामर, संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छ.ग. की ओर वेब साईड में प्रकटीकरण हेतु।

संयुक्त संचालक

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 2770 / 68 / CS / 2017 / समन्वय / 42 नया रायपुर, दिनांक 25-5-017

प्रति,

1. आयुक्त–सह–सचिव,
तकनीकी शिक्षा संचालनालय
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, (छ.ग.)

2. आयुक्त–सह–सचिव,
रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय
(रोजगार पक्ष / प्रशिक्षण पक्ष)
ब्लॉक–4, प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

3. महानिदेशक,
छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विधान सभा रोड, सड्डू,
रायपुर (छ.ग.)

4. महानिदेशक,
छत्तीसगढ़ रीजनल साईंस सेंटर सोसायटी,
विधान सभा रोड, सड्डू,
रायपुर (छ.ग.)

5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी,
पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, जी.ई रोड,
रायपुर (छ.ग.)

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण,
पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, जी.ई रोड,
रायपुर (छ.ग.)

7. नियंत्रक,
छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छ.ग.
26 MAY 2017
860

विषय :– सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन् 2000 एवं आधार अधिनियम 2016 के अनुपालन संबंध।

संदर्भ :– कार्यालय मुख्य सचिव से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1025/CS/2015/ Date 05.05.2017

–––000–––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि आपके विभाग को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन् 2000 एवं आधार अधिनियम 2016 के अनुपालन संबंध में निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें साथ ही की गई कार्यवाही से तत्काल इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(विभा चौधरी)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

Letter MPP 2016-AD.doc

विवेक ढाँड
मुख्य सचिव
Vivek Dhand
Chief Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
Government of Chhattisgarh
अर्द्धशासकीय पत्र क्र. : 1025/CS/2015
नया रायपुर, दिनांक : 05 MAY 2017

प्रिय साथी,

कृपया **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन् 2000** एवं **आधार अधिनियम 2016** के अनुपालन में सचिव, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, के पत्र क्रमांक NIC/DDG(SBS)/IT Act/2017 दिनांक 24/04/2017 एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी UIDAI के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 23011/Gen/90/2017/UIDAI-Legal दिनांक 24/04/2017 का अवलोकन करें, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न प्रेषित है।

विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राही योजनाओं के संचालन के लिए नागरिकों के आधार नम्बर, डेमोग्राफिक डेटा एवं बैंक खाता जैसी जानकारियां एकत्रित की गयी है। कुछ प्रदेशों में यह जानकारियां कथित तौर पर ऑनलाईन जारी कर दी गयी है। इन्हें आसानी से ऑनलाईन सर्च किया जा सकता है।

यह तथ्य विशेषतः ध्यान देने योग्य है कि नागरिकों के पहचान संबंधी गोपनीय जानकारियां प्रकाशित करना **आधार अधिनियम 2016** के प्रावधानों का उल्लंघन है। यह दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें तीन वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान है। वहीं नागरिकों के संवेदनशील व्यक्तिगत बैंक विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी प्रकाशित करना **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन् 2000**के प्रावधानों का उल्लंघन है, इसमें प्रभावितों को क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है।

कृपया उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए डेटा को प्रकाशित करते समय **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन् 2000** एवं **आधार अधिनियम सन् 2016** के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि ऐसे डेटा पूर्व में प्रकाशित किये गये हैं, तो उसे तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाये।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार

सादर,
भवदीय

(विवेक ढाँड)

Pls. intimate all HODs.
18/5/2017

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव
सचिव / विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, नया रायपुर

कक्ष क्र. S - 4/21, चतुर्थ तल, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492 002
Tel.: 0771-2221207, 2221208, Fax : 0771-2221206, E-mail : vivekdhand.cs@nic.in